



THE BHARAT SCOUTS AND GUIDES

भारत स्काउट्स एवं गाइड्स

National Headquarters राष्ट्रीय मुख्यालय

Society Registration No : S462 of 1950-1951

President :

Dr. Anil Kumar Jain, M.P.(Rajya Sabha)

डॉ. अनिल कुमार जैन, सांसद (राज्य सभा)

Chief National Commissioner :

Dr. K. K. Khandelwal, IAS(Retd.)

डॉ. के.के. खण्डेलवाल, ना.प्र.सं. (रे.नि.)

Ref. No. B.S.G./N.H.Q. **D-5-8/2237/2020-21**

Date: **12/02/2021**

To
The State Secretary
The Bharat Scouts and Guides
Chhattisgarh State
State Headquarters
Sports Complex, Outdoor Stadium
Gate No.3, E -Block, Buddapara
Raipur(Chhattisgarh)

SUB.:- Submission of amended Bye-Laws of Chhattisgarh State BS&G....reg.

REF.:- SHQ letter no. 2800/ S. G./SHQ/ 2021, dated 02/02/2021.

Sir,

Please find enclosed herewith the State Bye-Laws of Chhattisgarh State Bharat Scouts and Guides duly approved by the Competent Authority, for your kind perusal.

Thanking you,

Yours Sincerely,

(Raj Kumar Kaushik)

Director

Encl.:- As above.

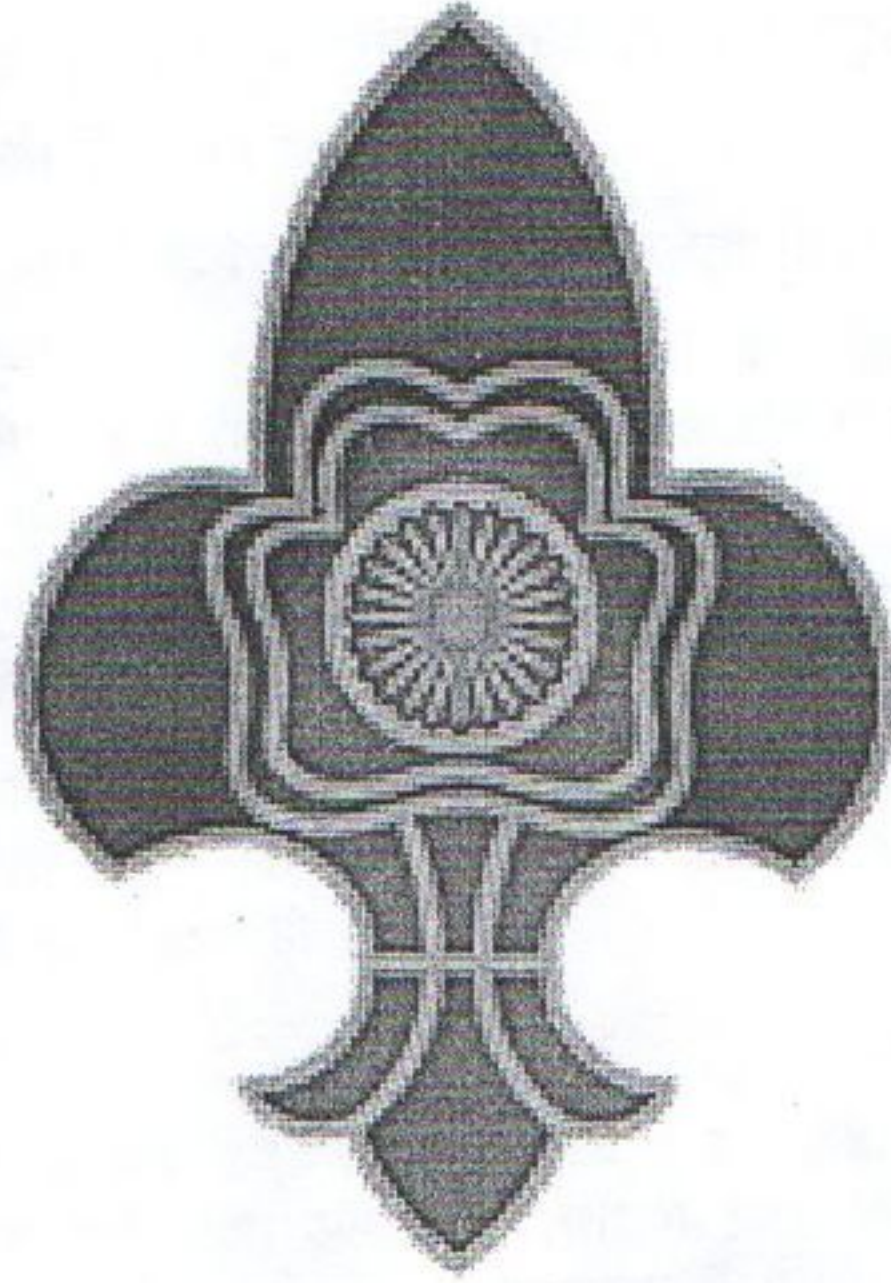
Copy submitted to the Hon'ble Chief National Commissioner of the Bharat Scouts and Guides for his kind information.

- C. c. to:-
1. The State Chief Commissioner, Chhattisgarh State BS&G for kind information.
 2. Executive Director, BS&G, NHQ.
 3. Administrative Officer, BS&G, NHQ.
 4. Assistant Director, BS&G, Central Region.
 5. AS-1, BS&G, NHQ.

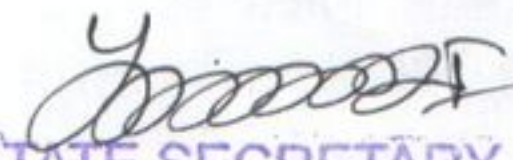
DIR/ADO/AS-1/12 Feb. 2021.



भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, छत्तीसगढ़
राज्य मुख्यालय, रायपुर



उपनियम

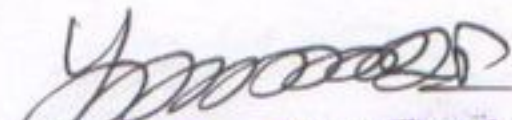

STATE SECRETARY
BHARAT SCOUTS & GUIDS
CHHATTISGARH

भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ उप-नियम

- धारा - 1 संक्षिप्त नाम :- भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ राज्य होगा।
- धारा - 2 यह विधान उप नियम भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छ.ग. राज्य के उपनियम कहलाएंगे।
- धारा - 3 संबद्धता - यह संस्था भारत स्काउट्स एवं गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय, 16 महात्मा गांधी मार्ग लक्ष्मी मजूमदार भवन, इन्द्रप्रस्थ स्टेट नई दिल्ली, 110002 से सम्बद्ध होगी।
- धारा - 4 परिभाषा :-
- 4.1 "संस्था" का तात्पर्य - भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, छत्तीसगढ़
- 4.2 "संस्था का मेमोरेण्डम" का तात्पर्य - भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का मेमोरेण्डम
- 4.3 "नियम" का तात्पर्य - भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का नियम
- 4.4 "स्काउटर" का तात्पर्य - स्काउटर का अर्थ इस संगठन से संबद्ध वह पुरुष/महिला है जिसे संस्था के स्काउट विभाग का वैध नियुक्ति पत्र (वारंट) प्राप्त हो।
- 4.5 "गाइडर" का तात्पर्य - गाइडर का अर्थ इस संगठन से संबद्ध वह महिला है जिसे संस्था के गाइड विभाग का वैध नियुक्ति पत्र (वारंट) प्राप्त हो।
- 4.6 शब्दों और भावनाओं का उपयोग इस उपनियम में तब तक होगा जब तक उपनियम में उल्लेखित हों, एक जैसा अर्थ हो सकता है अगर कोई संस्था के मेमोरेण्डम और नियम में उल्लेखित हो तो।
5. उद्देश्य :-
- इस संस्था का उद्देश्य एवं लक्ष्य बालक/बालिकाओं तथा युवक/युवतियों में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और राष्ट्र तथा मानवता के प्रति निःस्वार्थ सेवा भावनाओं को जागृत कर इन उद्देश्यों को कार्यरूप में परिणित करने के लिए प्रवृत्त करना एवं प्रशिक्षित करना है यदि आवश्यक हो तो ईश्वर के स्थान पर धर्म का उपयोग किया जा सकता है।
6. भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छ.ग. का पता :-
- भारत स्काउट्स एवं गाइड्स राज्य मुख्यालय-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स,आउटडोर स्टेडियम, गेट नं. 03, ई-ब्लॉक बुढ़ापारा, रायपुर छ.ग. 492001
- भारत स्काउट्स और गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय, 16 महात्मा गांधी मार्ग, लक्ष्मी मजूमदार भवन, इन्द्रप्रस्थ स्टेट, नई दिल्ली -110002 की राष्ट्रीय परिषद द्वारा नवम्बर 24, 2019 एवं दिनांक 29.11.2020 को राष्ट्रीय परिषद द्वारा आयोजित आभाषी बैठक में अनुमोदित, संशोधित, स्वीकृत एवं प्रकाशित, उद्देश्य, नीति, नियम एवं संगठन (ए.पी.आर.ओ.-1,2,3) तथा विधान रूल्स बुक एवं स्कीम ऑफ ट्रेनिंग पुस्तकों में उल्लेखित नियम सामान्यतया छत्तीसगढ़, भारत स्काउट्स और गाइड्स की प्रादेशिक संस्था में मान्य होंगे तथा लागू होंगे।

क्रमश...2....


R. K. Kaushik
Director
THE BHARAT SCOUTS AND GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002


STATE SECRETARY
BHARAT SCOUTS & GUIDES
CHHATTISGARH

उपनियम :-

रूल्स बुक के नियम संख्या 47-86 तक के नियम प्रादेशिक संस्था छ.ग. भारत स्काउट्स एवं गाइड्स हेतु यथास्थान पर परिवर्तन के साथ लागू होंगे जिसमें भविष्य में प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रादेशिक कार्यकारिणी द्वारा संशोधन प्रस्तावित किया जा सकेगा, जो प्रादेशिक परिषद द्वारा स्वीकृत होने तथा राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् प्रादेशिक संस्था पर लागू होंगे।

7. लक्ष्य साधन एवं प्रक्रिया :-

इस संस्था के निर्धारित लक्ष्य स्काउटिंग/गाइडिंग के क्रियाकलापों द्वारा उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्था के विभिन्न संगठनात्मक माध्यम एवं साधनों की सहायता से बालक/बालिकाओं एवं युवक/युवतियों में विभिन्न प्रशिक्षणों के द्वारा उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रशिक्षणों के द्वारा जिन लक्ष्यों का संवर्धन किया जाएगा वे इस प्रकार हैं :-

- (i) ईश्वर व धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना।
- (ii) चरित्र का निर्माण कर उत्तम नागरिक बनाना।
- (iii) शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक गुणों का विकास करना।
- (iv) स्काउट और गाइड कलाओं का सैद्धांतिक प्रायोगिक ज्ञान देना।
- (v) निरीक्षण आत्मानुशासन और आत्म निर्भरता के गुणों को विकसित करना।
- (vi) पारस्परिक निष्ठा की शिक्षा देना, राष्ट्र प्रेम को विकसित करना और दूसरों की सेवा के लिए प्रेरित करना।
- (vii) स्वतः के लिए उपयोगी कलाओं और हस्तकलाओं का प्रशिक्षण देना और समाज के लिए उपर्युक्त सेवा कार्य में प्रशिक्षित करना।
- (viii) जाति, सम्प्रदाय, धर्म, वर्ण या वर्ग निरपेक्ष रूप से अपने साथियों के साथ सौहार्द पूर्वक रहना और उनकी सेवा करने की शिक्षा देना।
- (ix) समान उद्देश्य और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए स्थापित अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग से कार्य करना।

8. सदस्यता :-

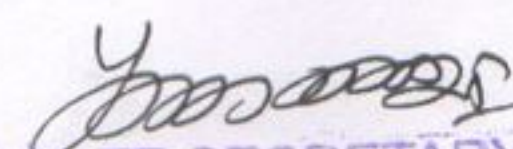
विकासखण्ड/जिला संघ में भारत के स्वतंत्र नागरिक के लिए सदस्यता के लिए खुली है, जो व्यक्ति इसके मूल अधिकार जिसमें उद्देश्य, सिद्धांत, विधि, प्रतिज्ञा और नियम को माने। भारत में रहने वाले किसी अन्य राष्ट्रीयता के नागरिक को राज्य मुख्य आयुक्त की मंजूरी के साथ विकासखण्ड/जिला संघ के सदस्य के रूप में भर्ती किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के नियमानुसार प्रतिज्ञा लेना होगा।

मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और भारत के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, दूसरों की सहायता करूंगा और स्काउट्स/गाइड्स नियम का पालन करूंगा।

नोट :- "धर्म" शब्द का प्रयोग "ईश्वर" के स्थान पर किया जा सकता है।

क्रमशः...3....


R. K. Kaushik
Director
THE BHARAT SCOUTS AND GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002


STATE SECRETARY
BHARAT SCOUTS & GUIDES
CHHATTISGARH

8.1 राज्य संघ की सदस्यता इससे मिलकर बनेंगी।

अ. सभी जिला अथवा संभाग संघ भारत स्काउट्स एवं गाइड्स।

ब. राज्य संघ के मौजूदा आजीवन सदस्य।

स. जिले में कोई जिला संघ नहीं होने की स्थिति में राज्य से मान्यता प्राप्त स्थानीय संघ के अध्यक्ष।

द. जिले में कोई जिला/विकासखण्ड संघ नहीं होने पर राज्य संघ में पंजीकृत ग्रुप लीडर।

ई. आजीवन सदस्य :-

आजीवन सदस्य वे हैं जिन्हें राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकार किया जाता है और जिन्होंने निर्धारित रूप से आजीवन सदस्यता शुल्क का भुगतान किया है।

नोट :- 1. इन नये नियमों के अनुमोदन की तारीख से किसी भी आजीवन सदस्य को सदस्यता नहीं दी जायेगी।

2. राज्य संघ में आगे कोई व्यक्तिगत सदस्यता नहीं होगी और राज्य परिषद में जिला संघ के सदस्य या तो निर्वाचित, नामित या प्रतिनिधि होंगे।

3. बशर्ते, राज्य परिषद के पास वहा कि सदस्यता में किसी रिक्ति के बावजूद कार्य करने की शक्ति होगी।

4. इसके अलावा, राज्य परिषद का कोई भी सदस्य जो पद के आधार पर सदस्य होता है, जब वह इस तरह के पद का संचालन करना बंद कर देता है, तो वह राज्य परिषद का सदस्य भी नहीं होगा।

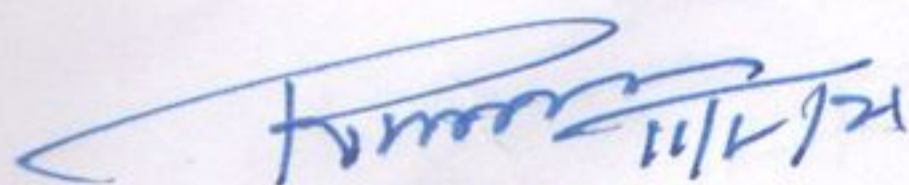
5. इसके अलावा, जिला संघ भंग होने की स्थिति में कोई भी सदस्य जो जिला संघ का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य परिषद या राज्य कार्यकारिणी का सदस्य नहीं रह पायेगा।

6. पुराने आजीवन सदस्यों का प्रत्येक पांच वर्ष में आजीवन सदस्यता नवीनीकरण राशि 100/- लेकर किया जाएगा।

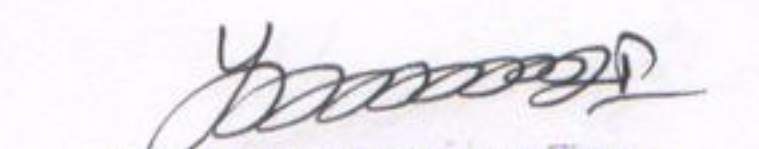
8.2 सदस्यता की समाप्ती :-

1. यदि किसी सदस्य को अपराधिक अपराध का दोषी पाया जाता है। (राष्ट्रीय मुख्यालय के रूल्स बुक के चेप्टर-3, रूल्स क्रं. 56.1.2.3) जिसमें नैतिक क्रूरता शामिल है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी और किसी भी पुरस्कार/विशेषाधिकार को वापस ले लिया जायेगा।

क्रमशः...4....



R. K. Kaushik
Director
THE BHARAT SCOUTS AND GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002



STATE SECRETARY,
BHARAT SCOUTS & GUIDES
CHHATTISGARH

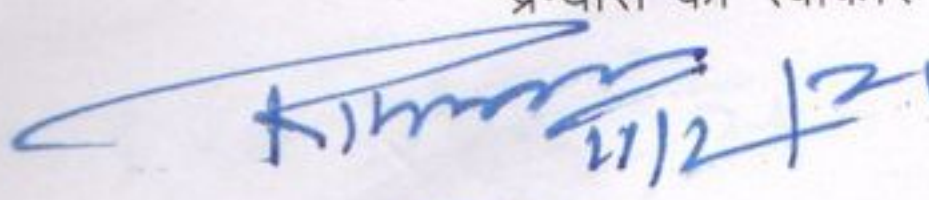
2. यदि किसी भी दल/संघ/जिला परिषद/राज्य परिषद या राष्ट्रीय परिषद के किसी भी सदस्य को किसी अन्य संगठन का समर्थन करते हुए आंदोलन के हितों के लिए हानिकारक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है या प्रकाशनों या मिडिया में लेखन के माध्यम से संगठन के लिए असहमति लाते हैं, या पुष्टि की जाती है, तो आंदोलन के हित के खिलाफ प्रचार करने वाले को प्रदान की गई संस्था के अधिकार पत्र को समाप्त करने के लिए संस्था उत्तरदायित्व होगा, उचित जांच होने के पश्चात् दोषी पाये जाने पर उन्हें निष्कासित भी किया जा सकता है।
3. अगर भारत के किसी भी सदस्य को स्काउट्स एवं गाइड्स के समानंतर संगठन का सदस्य पाया जाता है, या ऐसे किसी संगठन की गतिविधियों का समर्थन करने और उसका पालन करने में पाया जाता है तो उसकी स्काउट्स एवं गाइड्स की सदस्यता को समाप्त कर दिया जायेगा।
4. यदि किसी संघ या परिषद का सदस्य या पदाधिकारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा समय-समय पर अनुमोदित और संशोधित आचार संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसकी स्काउट्स एवं गाइड्स की सदस्यता को समाप्त कर दिया जायेगा।

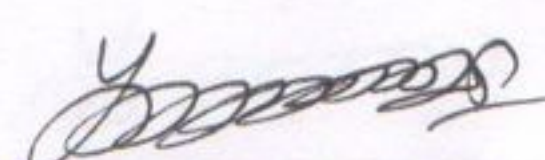
9. भारत स्काउट्स एवं गाइड्स ट्रस्ट (वित्तीय) धन :-

जिला संस्थाओं की चल एवं अचल सम्पत्तियों के प्रबंधन के लिए जिला मुख्य आयुक्त की संस्तुति पर 06 ट्रस्टियों की नियुक्ति करना, जिसमें प्रादेशिक सचिव, संबंधित जिला के जिला आयुक्त स्काउट/गाइड ट्रस्ट के पदेन सदस्य होंगे और अन्य 03 ट्रस्टी जिला संस्था के सदस्यों में के होंगे।

- (i) भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ एक सार्वजनिक संस्था है जो अपने प्रादेशिक मुख्यालय तथा उसके कर्मचारियों एवं संगठन कार्यों के व्यय की पूर्ति के लिए जन समर्थन तथा प्रदेश सरकार के अनुदान पर आधारित है।
- (ii) इस संस्था के धन के स्रोत, जनता से प्राप्त दान व अभिदान, शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक संस्थानों तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान है। इसके आय-व्यय का अपेक्षित विवरण वार्षिक कार्य लेखा के साथ प्रकाशित किया जायेगा।
- (iii) प्रत्येक पंजीकृत दलों से यह संस्था प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित वार्षिक शुल्क तथा अन्य शुल्क प्राप्त करेगी।
- (iv) यह संस्था आंदोलन के उद्देश्यों के उत्कर्ष के निमित्त प्राप्त तथा प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत स्पष्ट प्रयोजन हेतु दिये गये दान तथा प्रत्यास को स्वीकार करेगी तथा उसका प्रबंध करेगी।

क्रमश...5....


R. K. Kaushik
 Director
 THE BHARAT SCOUTS AND GUIDES
 Lakshmi Mazumdar Bhawan,
 16, M. G. Marg, I. P. Estate,
 New Delhi-110002


STATE SECRETARY
BHARAT SCOUTS & GUIDES
CHHATTISGARH

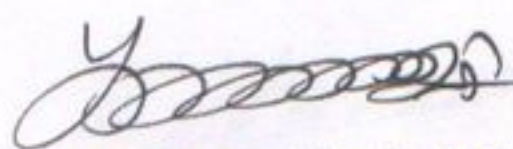
- (v) यदि कोई जिला संगठन अक्रियात्मक हो जाये तो उसकी सम्पूर्ण चल-अचल संपत्ति प्रादेशिक संस्था में निहित हो जायेगी तथा उसका प्रबंध प्रादेशिक मुख्य आयुक्त द्वारा नियुक्त व्यक्ति करेंगे, परन्तु प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति द्वारा जिला संगठन को पुनः मान्यता दे दिये जाने पर प्रादेशिक मुख्य आयुक्त उसकी संपत्ति के प्रबंध में किये गये व्यय को काटकर सम्पूर्ण चल-अचल संपत्ति उस जिला संस्था को वापस कर देंगे, स्थानीय संघ के निधि का अंकेक्षण (ऑडिट) किसी भी समय कराने के लिए राज्य मुख्यालय स्वतंत्र होगा। सामान्यता: सभी जिला संस्थाओं की अचल संपत्ति अर्थात् भूमि और भवन जो विधिवत संस्था के नाम से निबन्धित होंगे वह प्रादेशिक मुख्यालय में निहित होंगे।
- (vi) इसी प्रकार राज्य संघ से पंजीकृत जिला संघ भी अपने व्यय के लिए जनता तथा स्थानीय निकाय, सार्वजनिक संस्थाओं, शैक्षिक संस्थाओं के समर्थन तथा सांसद/विधायक निधि से प्राप्त अनुदान पर निर्भर होंगे।
- (vii) छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न स्तरों में संगठित स्काउट/गाइड संस्था की शाखाओं द्वारा स्काउट/गाइड कार्यक्रम संचालित एवं संगठित किये जाते हैं जिन्हें चलाने के लिए उन्हें दान स्वरूप अचल संपत्ति मकान जमीन आदि प्राप्त है या स्थानीय सहयोग से ऐसी अचल संपत्ति प्राप्त की है इसी प्रकार इन संस्थाओं अथवा इकाई के पास चल संपत्ति जैसे तम्बू, खोल, दरियाँ उपकरण मशीने इत्यादि भी हैं। इस प्रकार की सभी चल-अचल संपत्तियों पर भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ राज्य का स्वात्वाधिकार होगा।

10. संरक्षक मण्डल

1. संरक्षक मण्डल होगा, राज्यपाल या उप राज्यपाल को राज्य संघ के मुख्य संरक्षक पद के लिए सादर आमंत्रित किया जायेगा।
2. माननीय मुख्यमंत्री को राज्य संघ के संरक्षक पद के लिए सादर आमंत्रित किया जायेगा।
मंत्रियों के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है -
युवा एवं खेल विभाग
शिक्षा विभाग
महिला एवं बाल विकास
कौशल विकास
गृह मंत्री या अन्य मंत्री जैसा कि कार्यकारी समिति द्वारा तय किया गया हो।
3. ऐसे एक या अधिक उप-संरक्षक हो सकते हैं जो राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित किये गये, योगदान, दान या आर्थिक अनुदान का भुगतान करते हैं और उन्हें राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकार किया जाता है।

क्रमशः...6....


R. K. Kaushik
Director
THE BHARAT SCOUTS AND GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002


STATE SECRETARY
BHARAT SCOUTS & GUIDES
CHHATTISGARH

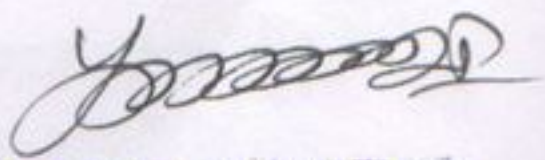
11. राज्य परिषद :-

राज्य परिषद में शामिल होंगे - (रूल्स बुक 58)

1. अध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष-एक या उसे अधिक ज्यादा से ज्यादा 12 (50 प्रतिशत गाइड विंग)
3. राज्य मुख्य आयुक्त
4. तुरन्त निवृत्तमान राज्य मुख्य आयुक्त
5. राज्य आयुक्त (कब, स्काउट और रोवर)
6. राज्य आयुक्त (बुलबुल, गाइड और रेंजर)
7. राज्य आयुक्त स्काउट (वयस्क संसाधन) और गाइड (वयस्क संसाधन)
8. राज्य मुख्यालय आयुक्त (8 से अधिक नहीं) - 50% गाइड
9. राज्य कोषाध्यक्ष
10. राज्य सचिव
11. संयुक्त राज्य सचिव
12. सहायक राज्य आयुक्त स्काउट - 8
13. सहायक राज्य आयुक्त गाइड - 8
14. राज्य संगठन आयुक्त स्काउट
15. राज्य संगठन आयुक्त गाइड
16. राज्य प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट
17. राज्य प्रशिक्षण आयुक्त गाइड
18. समस्त जिला मुख्य आयुक्त
19. समस्त जिला आयुक्त
20. सभी प्रभारी सहायक जिला आयुक्त स्थानीय संघ जहां जिला संघ नहीं हो।
21. समस्त लीडर ट्रेनर स्काउट ऑनरेबल चार्ज धारी
22. समस्त लीडर ट्रेनर गाइड ऑनरेबल चार्ज धारी
23. समस्त जिला सचिव
24. समस्त संयुक्त जिला सचिव (रूल्स बुक Chapter-V Sec.89-133 मान्य)
25. समस्त विकासखण्ड सचिव (रूल्स बुक Chapter-V Sec.134-137 मान्य)
26. 02 युवा सदस्य जिनकी उम्र 29 वर्ष से कम हो और युवा समिति का सदस्य हो उन्हें राज्य अध्यक्ष या राज्य मुख्य आयुक्त के अनुशंसा पर, एक महिला आवश्यक।
27. विशेष सम्माननीय सदस्य - राज्य मुख्य आयुक्त आमंत्रित कर सकते हैं राज्य अध्यक्ष के परामर्श पर।
28. एक या एक से अधिक 20 से अधिक नहीं जो कार्यकारी समिति के परामर्श से राज्य मुख्य आयुक्त की अनुशंसा पर राज्य अध्यक्ष द्वारा नामित है, जिनमें से कम से कम 10 महिलाएं होंगी।
29. सहायक निदेशक मध्य परिक्षेत्र

क्रमश...7....


R. K. Kaushik
Director
THE BHARAT SCOUTS AND GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002


STATE SECRETARY
BHARAT SCOUTS & GUIDES
CHHATTISGARH

निम्नलिखित सदस्य राज्य परिषद् के नामित सदस्य के रूप में विचार के लिए पात्र होंगे:-

1. स्वयंसेवी व्यक्ति जो कम से कम 20 वर्षों से संघ में संस्था के साथ सक्रिय सदस्य हो।
2. राज्य में रहने वाले सिल्वर एलीफेन्ट पुरस्कार विजेता।
3. दानदाता जिन्होंने पिछले 03 वित्तीय वर्षों में राज्य संघ को 1 लाख या अधिक का दान दिया है, बशर्ते वे आंदोलन के उद्देश्य और उद्देश्य के साथ-साथ संगठन के सदस्यों के लिए लागू आचार संहिता की सदस्यता लें।
4. शिक्षा, प्रशासन, साहित्य, वित्त, कानून, प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले पेशेवर हों बशर्ते उन्हें आंदोलन के उद्देश्य और उद्देश्य के साथ-साथ संगठन के सदस्यों के लिए लागू आचार संहिता की सदस्यता लेनी होगी।

नोट :- इसके अलावा, राज्य में रहने वाले राष्ट्रीय संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को राज्य परिषद् की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में आमंत्रित किया जायेगा।

A. साधारण बैठक : भारत स्काउट्स एवं गाइड्स रूल्स बुक 62.1 के अनुसार

B. विशेष बैठक : भारत स्काउट्स एवं गाइड्स रूल्स बुक 62.4 के अनुसार

C. आसाधारण बैठक: राज्य परिषद् के अध्यक्ष को राज्य कार्यकारिणी की अनुशंसा पर राज्य परिषद् की आपातकालीन बैठक 15 दिन के पूर्व सूचना (वर्चुअल बैठक 10 दिन) पर आमंत्रित करने का अधिकार होगा।

आपातकालीन बैठक की गणपूर्ति (कोरम) कुल सदस्यों की संख्या का 1/5 होगा।

12. सदस्यों के रिक्त स्थान :-

राज्य परिषद् सदस्य के रिक्त स्थान होने की स्थिति में नियमानुसार पूर्ति कर सकेगी।

13. राज्य परिषद् का कार्यकाल :-

नवगठित राज्य परिषद् का कार्यकाल प्रथम बैठक की तिथि से 05 वर्ष का होगा।

14. राज्य परिषद् के कार्यकाल में वृद्धि :-

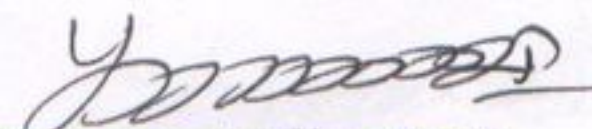
विशेष परिस्थिति जो लिखित रूप में अभिलिखित हों, राज्य परिषद् की अवधि अधिकतम 06 माह के लिए राज्य कार्यकारिणी के अनुशंसा पर मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त द्वारा बढ़ाई जा सकती है। ऐसी अभिशंसा राज्य कार्यकारिणी के विशेष बैठक में सामान्य बहुमत से करेगी इस बैठक में सदस्यों की उपस्थिति कम से कम 50 प्रतिशत होगी।

क्रमशः...8....



R. K. Kaushik
Director

THE BHARAT SCOUTS AND GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002



STATE SECRETARY
BHARAT SCOUTS & GUIDES
CHHATTISGARH

15. राज्य परिषद के अधिकार एवं कर्तव्य :-

राज्य परिषद, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वोच्च सदन होगा।

रूल्स, ए.पी.आर.ओ. उपनियम में वर्जित विषयों को छोड़कर सभी मुख्य विषयों पर इनके निर्णय अंतिम व मान्य होंगे।

- (i) संस्था के नियम एवं उपनियम के अनुसार उचित समय पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा संस्था के पदाधिकारियों एवं राज्य कार्यकारिणी समिति, वित्त समिति के सदस्यों का मनोनित करना।
- (ii) भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ राज्य संस्था का वार्षिक बजट पारित करना।
- (iii) संस्था के लेखा परीक्षक/परीक्षकों की नियुक्ति करना और पारिश्रमिक निर्धारित करना।
- (iv) राज्य परिषद द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक/परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत लेखा प्रतिवेदन एवं बैलेंस शीट पर विचार कर उन्हें पारित करना।
- (v) राज्य सचिव द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रगति विवरण पर विचार कर उसे पारित करना।
- (vi) संस्था के नियमों/उपनियमों को बनाना और उनमें आवश्यक संशोधन परिवर्तन और परिवर्धन कर उन्हें स्वीकार करना। इस प्रकार बनाये गये नियम तथा उपनियम मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त भारत स्काउट्स एवं गाइड्स नई दिल्ली को अनुमोदनार्थ अग्रेषित किये जायेंगे।
- (vii) संस्था के स्काउट एवं गाइड विभाग की गतिविधियों, प्रशिक्षणों संबंधित क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा तथा मूल्यांकन करना एवं राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य की प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यक्रम विकसित करना।
- (viii) भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ राज्य संस्था की चल-अचल संपत्ति पर नियंत्रण रखने एवं उसके रख-रखाव की व्यवस्था करना उससे संबंधित क्रय/विक्रय अधिग्रहण समर्पण प्रबंध, व्यवस्था तथा गिरवी रखने की व्यवस्था की स्वीकृति देना।
- (ix) स्काउटिंग/गाइडिंग अभियान की सर्वांगीण प्रगति के लिए सुरक्षित धनराशि ब्याज सहित या रहित उधार लेना अथवा देना तथा संस्था की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए लाभ के कार्य में संस्था के उद्देश्यों, लक्ष्यों की प्राप्ति और प्रगति के लिए अन्य आवश्यक कार्यवाही की स्वीकृति देना।
- (x) भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ राज्य संस्था के सुचारु रूप से कार्य करने एवं राज्य में स्काउटिंग/गाइडिंग अभियान के सघन प्रचार व प्रसार संबंधी विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति देना या आवश्यक कार्यवाही करना।

16. वित्त समिति :- रूल्स बुक 77 के अनुसार

[Handwritten signature]
11/21/21

R. K. Kaushik
Director
THE BHARAT SCOUTS AND GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002

[Handwritten signature]
STATE SECRETARY
BHARAT SCOUTS & GUIDES
CHHATTISGARH

17. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्य मुख्य आयुक्त का चुनाव :-

(i) अध्यक्ष-

भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के संरक्षक माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं राज्य मुख्य आयुक्त पद पर मनोनीत किया जायेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षामंत्री पदेन राज्य अध्यक्ष मनोनीत होंगे। तदनुसार राज्य परिषद द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व राज्य मुख्य आयुक्त का कार्यकाल एवं शक्तियां रूल्स बुक चेप्टर-03 के अनुसार होगी। अध्यक्ष अपनी सुविधानुसार कार्यवाहक अध्यक्ष भी नियुक्त कर सकते हैं।

(ii) उपाध्यक्ष-

(a)- एक या एक से अधिक उपाध्यक्ष होंगे लेकिन 12 से अधिक नहीं होंगे, जिनमें से 06 महिलाएं होंगी।

(iii) राज्य मुख्य आयुक्त -

(a)- राज्य मुख्य आयुक्त पद पर यथायोग्य व्यक्ति को राज्य के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत किया जायेगा जिसे राज्य परिषद अनुमोदित करेगी। उक्त पद हेतु रूल्स बुक 66.1 लागू नहीं होंगे शेष सभी चेप्टर-3 विधान रूल्स बुक एवं ए.पी.आर. ओ-1,2,3 स्कीम ऑफ ट्रेनिंग पुस्तकों में उल्लेखित नियम सामान्यतया: छत्तीसगढ़ भारत स्काउट्स एवं गाइड्स संस्था में मान्य होंगे तथा लागू होंगे।

(b)- राज्य मुख्य आयुक्त 05 वर्ष के लिए या राज्य परिषद की अवधि तक के लिए पद में रह सकते हैं, बशर्ते वह तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं हो जाता।

(iv) राज्य कोषाध्यक्ष -

(a)- भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ राज्य के सदस्यों में से राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा राज्य कार्यकारिणी की सहमति से राज्य कोषाध्यक्ष मनोनीत किया जायेगा जो वित्तीय प्रणाली में विशेषज्ञ होंगे।

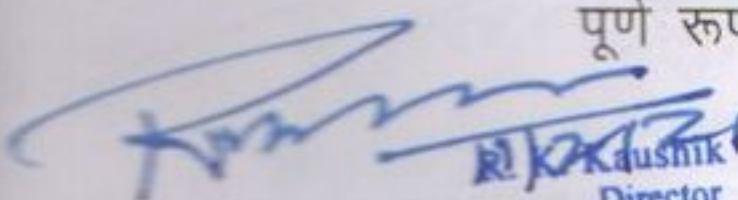
(b)- कोषाध्यक्ष का कार्यकाल एक समय में 05 वर्ष के लिए या राज्य कार्यकारिणी समिति की कार्य अवधि तक के लिए पद में रह सकते हैं, बशर्ते वह तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं हो जाता। किसी कारण से पद रिक्त होने की स्थिति में राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा शेष कार्यकाल के लिए नये कोषाध्यक्ष के रूप में संघ के किसी भी सदस्य को इस पद पर मनोनीत किया जा सकेगा।

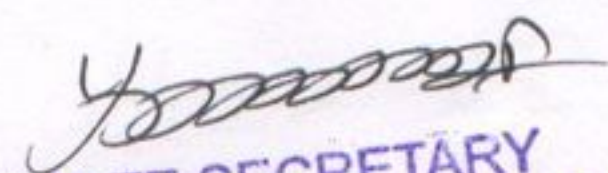
R. K. Kaushik
Director
THE BHARAT SCOUTS AND GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002

STATE SECRETARY
BHARAT SCOUTS & GUIDES
CHHATTISGARH

(c)- निधियों तथा वित्त संबंधी व्यवस्थाएं :-

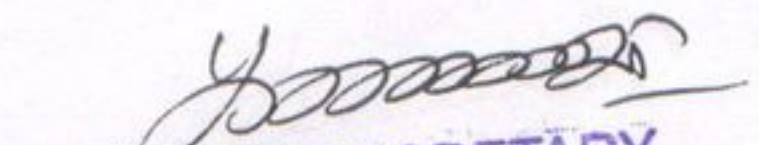
- (i) राज्य कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति और नियंत्रण के अधीन संस्था के राज्य मुख्य आयुक्त, कोषाध्यक्ष और राज्य सचिव संयुक्त रूप में लेखों का संचालन करेंगे। इस खण्ड के अधीन राज्य कार्यकारिणी समिति को संस्था की ओर सरकार अथवा अन्य सिक्यूरिटियों की खरीद बिक्री पृष्ठांकन या हस्ताक्षर अथवा नवीनीकरण के लिए आवेदन करने तथा ऐसी सिक्यूरिटियों पर ब्याज लाभांश अथवा अन्य सिक्यूरिटियों पर धन जमा करने निकालने या उधार लेने और संस्था की चल-अचल सम्पत्ति की देखभाल करने और उसका किराया वसूल करने की शक्ति होगी, परन्तु सिक्यूरिटियों को खरीदने बेचने अथवा संस्था के संपत्ति पर धन उधार लेने की शक्ति का प्रयोग केवल राज्य कार्यकारिणी समिति के पूर्व प्रस्ताव के अधीन ही किया जा सकेगा।
- (ii) राज्य संस्था एवं उसकी इकाईयों की चल-अचल संपत्ति से संबंधित सभी हस्ताक्षरण तथा अभीलेख अन्य प्रलेख संस्था के नाम पर होंगे और उन पर राज्य मुख्य आयुक्त तथा राज्य सचिव के संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किये जाएंगे।
- (v) राज्य सचिव, संयुक्त राज्य सचिव और उप सचिव:-
- (a) भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ की राज्य परिषद और राज्य कार्यकारिणी समिति में क्रमशः सचिव, संयुक्त सचिव और उपसचिव होंगे।
- (b) राज्य सचिव और संयुक्त राज्य सचिव मानद या वजीफा, जैसे की मामला है, जिनमें से एक महिला होगी, राज्य कार्यकारी समिति के परामर्श से राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा नियुक्त किया जायेगा। और यदि सेवा के साथ कार्डनेंस आचार नियमों या आचरण में नियुक्ति के क्रम में निहित नियम और शर्तें, जैसा भी मामला हों। बशर्ते, एक और संयुक्त राज्य सचिव को जहां और जब भी आवश्यकता हों नियुक्त किया जा सकता है।
- (c) उप सचिव, मानद और वजीफा जैसा भी मामला हो, राज्य कार्यकारी समिति के परामर्श से राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। और यदि सेवा आचरण नियम या नियमों और शर्तों के अनुसार वजीफा दिया जाता है। नियुक्ति के क्रम में, जैसा भी मामला हों।
- (d) सभी सचिवों को राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नियुक्ति के 01 वर्ष के भीतर सचिवों के पाठ्यक्रम से गुजरना चाहिए।
- (e) राज्य सचिव और संयुक्त राज्य सचिव, राज्य परिषद और राज्य कार्यकारिणी समिति के सचिव और संयुक्त सचिव होंगे।
- (f) राज्य सचिव और संयुक्त राज्य सचिव अपने-अपने विभाग के कार्यों के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।


 Director
 THE BHARAT SCOUTS AND GUIDES
 Lakshmi Mazumdar Bhawan,
 16, M. G. Marg, I. P. Estate,
 New Delhi-110002


 STATE SECRETARY
 BHARAT SCOUTS & GUIDES
 CHHATTISGARH

- (g) राज्य सचिव, संयुक्त राज्य सचिव और उपसचिव अगर मानद प्राप्त है तो राज्य परिषद के कार्यकाल के साथ सह-अवधि में 5 वर्ष से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। बशर्ते राज्य सचिव, संयुक्त राज्य सचिव और उपसचिव, उत्तराधिकारी नियुक्त होने तक जारी रहेंगे।
- (h) राज्य सचिव राज्य संघ के नियत और कुशल प्रशासन के लिए राष्ट्रीय और राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्य मुख्य आयुक्त के समन्वय और मदद के लिए जिम्मेदार होंगे।
- (i) राज्य सचिव सेवाभर्ती नियम या नियुक्ति के क्रम में निहित नियमों और शर्तों के अनुसार कर्मचारियों के वेतनभोगी सदस्यों की नियुक्ति करेगा, जैसा कि मामला हो और राज्य मुख्य आयुक्त के अनुमोदन के अधीन हो सकता है।
- (j) यदि राज्य में सेवाभर्ती नियम होने की स्थिति में तदनुसार नियुक्ति/भर्ती/पदोन्नति की कार्यवाही की जाएगी।
- (k) राज्य सचिव रोजाना प्रशासन द्वारा दी गई जिम्मेदारी एवं सचिवीय कार्य के प्रभारी होंगे।
- (l) राज्य सचिव राज्य संघ के पंजी, पुस्तकें, कागजात और रिकार्ड सुरक्षित रखेंगे।
- (m) राज्य सचिव वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक जनगणना (सेन्सस) तैयार करेंगे।
- (n) राज्य सचिव और संयुक्त राज्य सचिव संबंधित विभाग के संबंध में पत्राचार और राज्य संघ के प्रभारी होंगे। ऐसे अन्य कर्तव्य राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा उन्हें सौंपा जा सकता है।
- (o) राज्य सचिव और उनकी उपस्थिति में संयुक्त राज्य सचिव राज्य परिषद, राज्य कार्यकारिणी समिति एवं अन्य समितियों के बैठक का एजेण्डा तैयार करेंगे। और राज्य अध्यक्ष एवं राज्य मुख्य आयुक्त के अनुमोदन से राज्य परिषद और राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना जारी करेंगे। राज्य सचिव की रिक्ति के स्थिति में राज्य मुख्य आयुक्त संयुक्त राज्य सचिव को राज्य सचिव के रूप में कार्य करने के लिए कहेंगे, जब तक कि शेष अवधि के लिए राज्य सचिव को नियुक्त करने के लिए उचित कार्यवाही नहीं की जाती।
- (p) राज्य सचिव प्रशासन और उससे जुड़े मामलों में सहायता और सलाह दे सकते हैं।
- (q) राज्य सचिव राज्य संघ के अधिकारिक पत्र-पत्रिकाएं के संपादक और प्रकाशक होंगे।


R. K. Kaushik
 Director
 THE BHARAT SCOUTS AND GUIDES
 Lakshmi Mazumdar Bhawan,
 16, M. G. Marg, I. P. Estate,
 New Delhi-110002


STATE SECRETARY
BHARAT SCOUTS & GUIDES
 CHHATTISGARH

- (r) संयुक्त राज्य सचिव, राज्य सचिव की सहायता करेगा और विशेष रूप से राज्य सचिव के हर कार्य का उत्तरदायित्व संयुक्त राज्य सचिव का भी होगा।

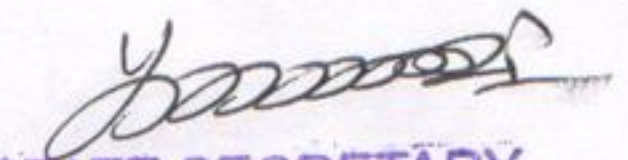
18 आजीवन सदस्यों का चुनाव संचालन प्रक्रिया :-

राज्य परिषद के लिये आजीवन सदस्यों के प्रतिनिधियों को नियमों के अनुसार आपस में चुना जायेगा। पोस्टल बैलेट के इस्तेमाल से मतदान किया जायेगा। नामांकन फॉर्म और सदस्यों की सूची के साथ नोटिस कम से कम 90 दिन पहले राज्य परिषद की बैठक में नामांकन की अंतिम तिथि, नाम वापसी, बैलेट पेपर प्राप्ति की अंतिम तारीख मतगणना की तारीख का उल्लेख करते हुये भेजा जायेगा। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा विधिवत रूप से चुनाव लड़ने वाले सदस्यों की सूची के साथ हस्ताक्षर किये गये बैलेट पेपर को सभी सदस्यों को भेजा जायेगा, जो राज्य परिषद चुनाव के लिये नोटिस जारी करने की तारीख से पहले डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि का उल्लेख करेंगे। ताकि निर्वाचित हुए प्रतिनिधियों के नाम राज्य परिषद सदस्य की सूची में शामिल किये जायेंगे। मतगणना के समय उम्मीदवार स्वतः उपस्थित हो सकते हैं।

- (i) प्रस्तावक और समर्थक निर्वाचन मण्डल आजीवन सदस्य होंगे।
- (ii) नामांकन प्रस्तावक और समर्थक और उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित रहेगा।
- (iii) एक प्रस्तावक सदस्य या समर्थक द्वारा पदों की संख्या अनुसार नामांकन पत्र में प्रस्तावक या समर्थक के रूप में हस्ताक्षर कर सकता है अधिक हस्ताक्षर होने की स्थिति में नामांकन रद्द किया जा सकेगा।
- (iv) नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर तक निर्धारित तिथि तक प्राप्त हो जाना चाहिए।
- (v) एक नामांकन जो निर्धारित प्रपत्र में नहीं है, या जो निर्धारित समयावधि और तारीख से पहले रिटर्निंग ऑफिसर तक नहीं पहुंचता है या जो प्रस्तावक, समर्थक या उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है या जिसमें किसी व्यक्ति का नाम शामिल है, एक उम्मीदवार जो कार्यालय या किसी व्यक्ति को प्रस्तावक या समर्थक के रूप में नामित करने के लिए पात्र नहीं है, जो प्रस्ताव करने के लिए योग्य नहीं है अमान्य होगा।
- (vi) राज्य सचिव जो रिटर्निंग ऑफिसर है, नामांकन पत्रों की जांच के लिए नियुक्त तिथि की जांच करेगा और नामांकन को वैध या अवैध घोषित करेगा।
- (vii) राज्य सचिव, वैध नामांकन की सूची तैयार करेगा और इसे राज्य मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करेगा, और सूचना के लिये चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को एक प्रति भेजेगा।
- (viii) कोई भी उम्मीदवार अपने द्वारा हस्ताक्षरित लिखित सूचना द्वारा अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकता है और राज्य सचिव को या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक से या वापसी के लिये तय समय और तारीख के भीतर ई-मेल द्वारा दे सकता है।
- (ix) नाम वापसी के लिये निर्धारित समय और तिथि के समाप्ति पर राज्य सचिव चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेंगे तथा बैलेट पेपर को सभी आजीवन सदस्यों को अंतिम तारीख के साथ भेजेंगे।


11/2/24

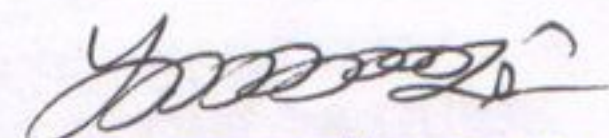
R. K. Kaushik
Director
THE BHARAT SCOUTS AND GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002


STATE SECRETARY
BHARAT SCOUTS & GUIDES
CHHATTISGARH

- (x) यदि नामांकित उम्मीदवारों की संख्या रिक्त पदों की संख्या के बराबर है तो राज्य सचिव उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित करेगा, यदि विधिवत नामांकित उम्मीदवारों की संख्या रिक्त पदों की संख्या से कम है तो राज्य सचिव उम्मीदवारों को विधिवत निर्वाचित घोषित करेगा और शेष रिक्त पदों के लिये नये सिरों से चुनाव की व्यवस्था करेगा और नामांकन जांच, नाम वापसी और प्राप्ति के लिये समय और तारीख तय करेगा।
- (xi) यदि विधिवत नामांकित उम्मीदवारों की संख्या रिक्त पदों की संख्या से अधिक है तो चुनाव होगा और चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होगा।
- (xii) बैलेट पेपर फॉर्म में वर्णमाला क्रम में उम्मीदवारों के नाम होंगे।
- (xiii) बैलेट पेपर राज्य संघ की अधिकारिक मुहर और प्रत्येक बैलेट पेपर पर बैलेट पेपर के रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर के बिना अवैध माना जायेगा।
- (xiv) (क) राज्य परिषद अपनी वार्षिक बैठक में यह तय करेगी कि मतदान किस स्थान पर होगा।
(ख) जो सदस्य बैलेट पेपर प्राप्त करता है वह अपना वोट दिये गये डिब्बे में डाल देगा और उम्मीदवारों को मतदान 'x' का निशान डालकर मतदान दिया जायेगा। पोस्टल बैलेट सील्ड अर्थात् चिपके लिफाफे में भेजे जायेंगे और प्राप्त होने पर उन्हें डिब्बे में डाल दिया जायेगा।
- (xv) सामान्य बैठक द्वारा तय की गई तारीख पर रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवारों या उपस्थित सदस्यों के सामने खुले तौर पर वोटों की गिनती करेगा। रिटर्निंग ऑफिसर अपनी सहायता के लिये अधिकारियों/स्टॉफ की मदद ले सकता है।
- (xvi) एक बैलेट पेपर अमान्य होगा :-
(क) यदि यह निर्धारित प्रपत्र में नहीं है या राज्य संघ और रिटर्निंग ऑफिसर के प्रारंभिक मुहर नहीं लगा है।
(ख) यदि यह मतदाता के हस्ताक्षर या किसी भी निशान को दर्शाता है जिसके द्वारा मतदाता पहचानने योग्य हो जाता है।
(ग) यदि इसमें किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ सील 'x' का निशान नहीं है या यदि एक से अधिक उम्मीदवार के खिलाफ सील 'x' का निशान है, तो मामले में जहां केवल एक व्यक्ति का चुनाव किया जाना है या यदि इसमें अधिक सील 'x' है, कार्यालय में चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या से अधिक है।
(घ) यदि यह उस व्यक्ति के रूप में स्पष्ट नहीं है जिसके पक्ष में वोट दिया जाता है।
- (xvii) एक व्यक्ति जो सबसे अधिक वोट हासिल करता है, उसे पहले और अगले उच्चतम मतों के लिये निर्वाचित घोषित किया जायेगा यदि एक से अधिक रिक्त स्थान हो।
- (xviii) वोटों की समानता की स्थिति में निर्णय लॉटरी (झा) के द्वारा होगा।
- (xix) निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा भेजे गये पर्यवेक्षक की देख रेख में संपन्न होगी तथा निर्वाचन प्रक्रिया में व्यवधान की स्थिति में पर्यवेक्षक की संस्तुति के आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर नीचे उद्घृत अधिकार का उपयोग कर सकेंगे तथा



R. K. Kaushik
Director
THE BHARAT SCOUTS AND GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002



STATE SECRETARY
BHARAT SCOUTS & GUIDES
CHHATTISGARH

निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर मतदाताओं या उम्मीदवारों को अन्यथा प्रभावित करने या निर्धारित निर्वाचन प्रक्रिया में व्यवधान डाले जाने की स्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर, निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने के पहले किसी भी समय पर्यवेक्षक के परामर्श से चुनाव निरस्त कर सकेंगे और पुनः निर्वाचन हेतु नये सिरे से कार्यवाही प्रारंभ कर सकेंगे।

नोट :- राज्य अध्यक्ष एवं राज्य मुख्य आयुक्त 70 वर्ष पूर्ण होने की स्थिति में मनोनीत नहीं किये जा सकेंगे। (राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा प्रकाशित बॉयलॉज के नोट-2 के अनुरूप)

19. राज्य कार्यकारिणी समिति

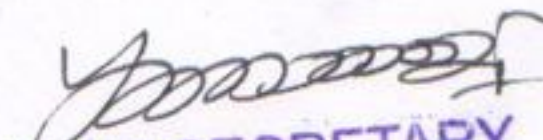
राज्य कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

- (1) राज्य मुख्य आयुक्त
- (2) राज्य आयुक्त कब, स्काउट और रोवर। (रूल्स 58.1.5)
- (3) राज्य आयुक्त बुलबुल, गाइड और रेंजर। (रूल्स 58.1.6)
- (4) राज्य आयुक्त स्काउट (व्यस्क संसाधन) और गाइड (व्यस्क संसाधन) (रूल्स 58.1.7)
- (5) राज्य मुख्यालय आयुक्त (08 से अधिक नहीं)
- (6) राज्य कोषाध्यक्ष
- (7) राज्य सचिव
- (8) संयुक्त राज्य सचिव
- (9) सहायक राज्य आयुक्त (स्का.)
- (10) सहायक राज्य आयुक्त (गा.)
- (11) राज्य संगठन आयुक्त (स्का.)
- (12) राज्य संगठन आयुक्त (गा.)
- (13) राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्का.)
- (14) राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (गा.)
- (15) समस्त जिला मुख्य आयुक्त/संभागीय मुख्य आयुक्त
- (16) स्थानीय सहायक जिला आयुक्त (प्रभारी), जहां कोई जिला संघ नहीं है।
- (17) प्रत्येक विभाग और प्रत्येक संभाग से एक लीडर ट्रेनर जिसके पास वैध ऑनरेबल चार्ज, लीडर ट्रेनर्स प्रतिनिधि के मामले में, लीडर ट्रेनर्स की संख्या सीमा से अधिक होने पर राज्य कार्यकारिणी समिति चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे सकती है।
- (18) राज्य युवा समिति के अध्यक्ष और सहायक अध्यक्ष।
- (19) सहायक निदेशक मध्य क्षेत्र।
- (20) सभी उपाध्यक्ष को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा, राज्य मुख्य आयुक्त विशिष्ट उद्देश्य के लिये विशेष आमंत्रित होने के लिये एक से अधिक आमंत्रित कर सकते हैं।
- (21) राज्य या जिले का कोई भी प्रोफेशनल चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिये पात्र नहीं होगा।
- (22) किसी भी विवाद के मामले में मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।
- (23) ये उपनियम मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त के अनुमोदन की तारीख से प्रभावी होगा।

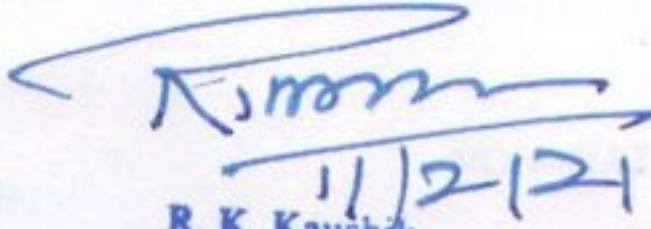
20. राज्य कार्यकारिणी समिति के अधिकार और कर्तव्य :-

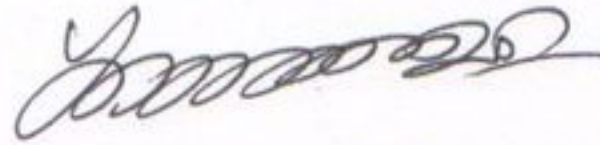
- (i) राज्य कार्यकारिणी समय-समय पर उसके द्वारा क्षेत्र या क्षेत्रों के पुनः निर्धारण के फलस्वरूप विकासखण्ड स्थानीय जिला और संभागीय संघ का गठन और पुनर्गठन कर उनका पंजीयन करेगी।
- (ii) राज्य कार्यकारिणी विकासखण्ड, स्थानीय जिला, संभागीय संघों तथा संस्थागत तथा व्यक्तिगत सदस्यता तथा दलों का वार्षिक संबंधता और पंजीकरण के नियम तथा शुल्क की राशियों का निर्धारण करेगी।
- (iii) राज्य कार्यकारिणी समिति राज्य परिषद की बैठकों का संयोजन करेगी।
- (iv) राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ राज्य एवं उसकी सभी इकाईयों की चल-अचल संपत्तियों, कोषों और राशियों पर नियंत्रण रखा जाएगा और उनका प्रबंध किया जाएगा।
- (v) राज्य कार्यकारिणी समिति संख्या का वार्षिक बजट वार्षिक लेखा परीक्षण पत्रक, वार्षिक बैलेंसशीट और वार्षिक प्रतिवेदन को अनुमोदित कर राज्य परिषद को उसकी स्वीकृति के लिए अनुशंसित करेगी।
- (vi) भर्ती/पदोन्नति और सेवा नियम तैयार करेगी। राज्य कार्यकारिणी समिति संस्था के विभिन्न पदों को स्वीकृति करेगी और समय-समय पर उनके वेतन और भत्तों का निर्धारण करेगी।
- (vii) आवश्यकतानुसार संस्था के संविधान तथा नियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन तथा विलोपीकरण करना और उन्हें राज्य परिषद तथा मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की अभिस्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।
- (viii) राज्य कोषाध्यक्ष के लिए राज्य मुख्य आयुक्त को अनुमोदन करना।
- (ix) निर्धारित नियमों के अनुसार अलंकरणों और पुरस्कारों के लिए अनुशंसा करना तथा साथ ही नवीन पुरस्कारों और अलंकरणों का निर्माण कर उनके नियम और विवरण आदि की व्यवस्था करना।
- (x) विकासखण्ड, जिला, संभागीय, संस्था तथा संस्थागत एवं व्यक्तिगत वार्षिक पंजीकरण तथा अन्य बातों के लिए शुल्क की राशि निर्धारित करना।
- (xi) राज्य मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता में उपसमिति गठन करना और उनके लिए राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में से निर्धारित सदस्यों का चयन करना।
- (xii) आवश्यकतानुसार क्रय समिति, सत्यापन समिति, जांच समिति आदि किसी भी कार्य के लिए उपसमिति का गठन करना।
- (xiii) संस्था के उद्देश्यों लक्ष्यों तथा उपनियमों के प्रकाश में स्काउट/गाइड दलों, विकासखण्ड, स्थानीय, जिला, संभागीय, कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों में सामंजस्य और समन्वय स्थापित करना और उचित मार्गदर्शन देना।
- (xiv) स्काउटिंग/गाइडिंग अभियान के लक्ष्यों की प्राप्ति तथा संस्था में सर्वांगीण विकास और प्रगति के लिए प्रयत्न करना।
- (xv) भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ राज्य संस्था से संबंधित सभी प्रकरणों पर विचार कर आवश्यकतानुसार नियम तथा उपनियम बनाना।
- (xvi) राज्य कार्यकारिणी समिति अपने अधिकार और कार्य को भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ राज्य संस्था के अधिकारियों को उनकी समिति बनाकर निर्धारित कार्य पर, निर्धारित शर्तों पर, निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण के लिए अन्य प्रांतों में भेजे जा सकेंगे और वापस लिए जा सकेंगे।


R. K. Kaushik
 Director
 THE BHARAT SCOUTS AND GUIDES
 Lakshmi Mazumdar Bhawan,
 16, M. G. Marg, I. P. Estate,
 New Delhi-110002


STATE SECRETARY
BHARAT SCOUTS & GUIDES
CHHATTISGARH

- 21 राज्य परिषद के निर्णय पर किसी भी विवाद के मामले में मामला मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त को भेजा जायेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।
- 22 किसी भी प्रकार के अपवाद या उपनियम के स्पष्टीकरण के लिए मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त का निर्णय सर्वमान्य होगा।
- 23 यह उपनियम मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त के अनुमोदन की तिथि से मान्य एवं लागू होगा।


 11/2/21
 R. K. Kaushik
 Director
 THE BHARAT SCOUTS AND GUIDES
 Lakshmi Mazumdar Bhawan,
 16, M. G. Marg, I. P. Estate,
 New Delhi-110002


 STATE SECRETARY
 BHARAT SCOUTS & GUIDES
 CHHATTISGARH


 Dr. K. K. Khandelwal
 Chief National Commissioner

APPENDIX

THE BHARAT SCOUTS AND GUIDES, _____ STATE ASSOCIATION

Election to the Office of

NOMINATION PAPER

I propose the name of as a candidate for election to
the office of.....

Date:

Signature of the Proposer

Name:

Sl. No. if any

I second the name of as a candidate for the election
to the office of

Date:

Signature of the Secunder

Name:

Sl. No. if any

I am willing to serve, if elected.

Date:

Signature of the Candidate

Sl. No. if any

FORM II

THE BHARAT SCOUTS AND GUIDES, _____ STATE ASSOCIATION

Election to the Office of

Ballot Paper

Sr.No.	Name of Candidates	Cross (X) mark in favour of desired candidate
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Office seal & initial of the Returning Officer

APPLICATION FORM

To,

The State Secretary,
Bharat Scouts & Guides

____ STATE

Sir,

I apply for admission as a Life Member/an Ordinary Member of the Bharat Scouts and Guides.

Particulars are given below:

Name (in block letters): _____

Address : _____

Age

: DOB: _____ AGE as on 01.04.____): _____

Email Id: _____

Mb./Tel No. _____

Occupation : _____

Educational and Other
Qualification : _____

Service done to the Movement: _____

Affirmation

I hereby affirm that I subscribe to the Aims and Objects of the Bharat Scouts and Guides. I hereby pay the sum of Rs.10000/-/ Rs. 100/- by cash/Cheque No. _____

Date.....

Signature of Applicant

()

Recommendation

We recommend the above applicant for admission as a Life Member/an Ordinary member of the Association.

1. Signature of Member

()

2. Signature of Member

()

The membership receipt No..... dt.

The membership is accepted by the State Executive Committee in its meeting held on

STATE SECRETARY